

## प्रेस नोट

थाना - हापुड नगर

दिनांक 12.07.2025

थाना हापुड नगर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म (इंस्टाग्राम) पर महिलाओं के विरूद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर वीडियो पोस्ट करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार।

#### कार्यवाही:-

हापुड पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना हापुड नगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 435/2025 धारा 296, 75(1)iv, 351(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को सबली गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सैंकी पुत्र मनवीर निवासी ग्राम सबली थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1. मु0अ0सं0 121/23 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
- 2. मु0अ0सं0 683/23 धारा 294, 323, 504, 506 भादवि थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
- 3. मु0अ0सं0 668/24 धारा 115(2), 391(2) बीएनएस थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
- 4. मु0अ0सं0 60/25 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।

# गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः

- 1. उ0नि0 श्री प्रशान्त कुमार थाना हापुड नगर जनपद हापुड।
- 2. है0का0 730 गौतम कुमार थाना हापुड नगर जनपद हापुड।